

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Civil Procedure code, Appendix 'D-1)

दालत मुकाम
नाम **पीडासीन अधिकारी :- श्री श्रीराम वर्मा R.A.S**
रूपाराम बनाम **पद्मादेवी शर्मा**
दावा बाबत
मुकदमा नं० 4/14 सन्
यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कर्तई रु-ब-रु मिनजानिब मुद्दई व **अरविन्द चौधरी** व
हाजरी **श्री दीनदयाल** मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

मतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर शवा नारी के पक्ष में अंतिम रूप से डिग्री किया जाकर घोषणा दिया जाता है कि वादगत स्वतः स्व.स. 94 नाराडी 62 बिघा 10 किन्ना स्व.स. 124 नाराडी 10 बिघा 13 किन्ना कुल कित्ता 02 बुलु नाराडी 73 बिघा 03 किन्ना को वे रोहि ग्राम कोहीनडा तटलीलबीदासर जिला 280 में स्थित है जो नारी उत्तिकीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है। जिसमें नारी रूपाराम का उत्तिकी सं. 2 चंवरलाल का 3 जेविकंदराम के नाम क्रमशः 1/3 हिस्सा 1/3 हिस्सा 1/3 हिस्सा राजलक्ष्म रिकार्ड अलग स्वसरा नाम कर विभाजक किया जावे उपरोक्त वर्णित वादगत लेने के लेते स्व.स. 94 नाराडी 62 बिघा 10 किन्ना स्व.स. 124 नाराडी 10 बिघा 13 किन्ना में से उत्तिकी सं. 01 वा 04 वा 06 का नाम हराकर उत्तरी पारवी का 1/3 हिस्सा उत्तिकी सं. 02 चंवरलाल के पक्ष में मुख्य पारवी का 1/3 हिस्सा नारी रूपाराम के पक्ष में तथा उत्तिकी तरफ का 1/3 हिस्सा उत्तिकी सं. 03 जेविकंदराम के पक्ष में वापस कर भूमि को राजलक्ष्म रिकार्ड में संशोधन कर खाता विभाजक कर नारी का उत्तिकी सं. 2 वा 3 का एक

चीज मुबलिया बाबत फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख को अदा करे।
खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह
वसूलमावी तक माह 12 20/19



मुद्दई	रुपया	पै.	मुदायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
	मीजान			मीजान	



नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

* हिस्सा अलग रवाता काम किया जावे। प्रतिवर्षीगत को जरूर

वर्जित करमाया जावे कि वादागत रवेत रव. सं. 34 नमूना 62 किमा
रव. सं. 124 नमूना 10 किमा 13 किमा कुल किता 02 कुल नमूना 73
वाके लेखि ग्राम को हीनडा नहर बीडालर जिला 20 में स्थित है। जो
अविभाजित क्षेत्र है। बिना विद्यमान रूप से रिकार्ड संशोधन व विकार
करवाये बिना नदी के एक व हिस्से की शक्ति में से बेहतर ना करे किन्तु
एकलक्षण ना करे ना ही विकार पर निष्पादित करे ना ही रजम सडाण
रखे ना ही कुआ आदि आदि करे ना ही वादीनीडाण के कब्जा कामत उपभोग
उपभोग में एजल कन्दानी स्वयं पैदा करे या अन्य हे करामे व ना ही हेसा
कोई कृत्य करे जिलले वादी के लोतेडारी उपभोग उपभोग के वैध अधिकार
पर विपरीत उजाव पडे। तथा प्रतिवर्षी सं. 07 नहरसीलडार बीडालर के माडेमित
करमाया जावे कि मुताबिक निर्णय व डी की पालना करे। नहरसीलडार डी
पर्या जाती है तथा प्रतिवर्षी सं. 7 नहरसीलडार बीडालर के माडेमित की पालना हुनु
कलगा ले लिखा जावे।



उपसखंड अधिकारी
बीडालर